न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,
जमवारामगढ़ जिला जयपुर (राज0)

फर्द अहकाम

राजेश बनाम सरकार वगेरहा

प्रार्थना पत्र संख्या 136 / 2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
26.07.2019	यह वाद पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये वकील पेश किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर सुनवाई हेतु अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 02.08.2019 को पेश हो। Sd/- उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)
2/8/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी सं0 1 तहसीलदार जमवारामगढ़ ने अपना जवाब पेश किया जो पत्रावली में शामिल रहा। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 6/8/19 को पेश हो। Sd/-
5/8/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी वकील ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट में अंकित किया कि ग्राम गठवाड़ी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में कृषि भूमि ख0न0 402 रकबा 04 बिस्वा, ख0न0 403 रकबा 10 बिस्वा किस्म चाही अनुसार प्रार्थी की खातेदारी अनुसार चली आ रही है। संवत 2051-2054 की जमाबन्दी खतौनी एवं उसके बाद अभी हाल में हुए सेटलमेन्ट के दौरान वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में किस्म-चाही के बजाय गै0मु0-चाही अनुसार त्रुटिपूर्ण इन्द्राज कर दिया गया।

Sd/-
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ (जयपुर)

Scanned with CamScanner

मु०नं०- 136/2019

उनवान - राकेश बनाम सरकार

चूंकि इससे पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड में किस्म चाही दर्ज चली आ रही है मौके पर कोई गै०मु० चाह निर्मित नहीं है अतः विवादित भूमि में गै०मु० चाह को हजफ कर पूर्वानुसार ~~[illegible]~~ किस्म चाही करने हेतु निवेदन किया।

तहसीलदार जमवारामगढ़ की रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार जमवारामगढ़ ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि संवत 2051 - 2054 तहरीर के दौरान सहवन से ख०नं० 402, 403 की किस्म जमीन चाही 2 के बजाय गै०मु० चाह अंकित कर दी गई। जो शुद्धि योग्य है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136, L.R. Act को स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम गठवाड़ी तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) में स्थित ख०नं० 402 रकबा 4 बिस्वा, ख०नं० 403 रकबा 10 बिस्वा में दर्ज गै०मु० चाह के इन्द्राज को हजफ कर इसके स्थान पर भूमि की किस्म चाही 2 दर्ज करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ़ को दिये जाते है। तहसीलदार जमवारामगढ़ तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ़ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद प्रार्थना दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ (जयपुर)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2020.02.27 13:37:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: